# रम्भा गाउँपालिका

# स्थानिय राजपत्र

मिति २०८१/०३/०७

**रम्भा गाउँपालिका**

**गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय**

**पिपलडाँडा**

**लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल**

# आर्थिक ऐन, २०८१

**प्रस्तावनाः** रम्भा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने, करका दायराहरु विस्तार गर्ने तथा राजश्व प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, जिम्मेवारी एवं न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छिनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम रम्भा गाउँपालिकाको गाउँसभाले यो विधेयक बनाएको छ ।

**१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :**

(क) यस विधेयकको नाम "आर्थिक ऐन, २०८१" रहेको छ ।

(ख) यो विधेयक गाउँसभाले पारित गरी २०८१ साल साउन १ गतेदेखि रम्भा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लागु हुनेछ।

(ग) यो विधेयकमा उल्लेख गरिए बमोजिमका कर बाहेक अन्य कर असूल उपर गरिने छैन ।

**२. सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर :** गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम घर जग्गा कर लगाइने छ । एकिकृत सम्पत्ति कर हाललाई लगाइने छैन ।

**३. भूमि कर (मालपोत)** : गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गाको उपयोगको आधारमा अनुसूची (२) बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाइने छ । जग्गा रजिष्ट्रेसन वापतको दस्तुर प्रदेश कानुन बमोजिम लगाइनेछ र प्रदेश कानुन बमोजिम बाँडफाँड भए अनुसार प्राप्त हुनेछ ।

**४. घर जग्गा बहाल कर** : गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन ,घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर,

कारखाना,जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (३) बमोजिम बहाल रकममा घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

५. **व्यवसाय दर्ता, नविकरण, व्यवसाय कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारको आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय दर्ता, नविकरण र व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

६. **जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी , वनकस (खर), कवाडी माल र प्रचलित कानुन बमोजिम निषेधित गरिएका जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला यस्तै प्रकृतिको वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरे वापत अनुसूची (५) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

७. **सवारी साधन कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची (६) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ।

८. **विज्ञापन कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिने छ । अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।

९. **मनोरञ्जन कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची (८) बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाइने र असूल उपर गरिने छ । अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ।

१०. **बहाल विटौरी शुल्क** :गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाट बजार,वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग वापत अनुसूची (९) मा उल्लेख भए अनुसार बहाल विटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिने छ ।

११. **सुचिकृत शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने मेसिनरी औजार तथा गाउँपालिकासँग सम्बन्धीत खरिद प्रक्रियामा भाग लिनको लागि अनुसूचि १० मा उल्लेख भए अनुसारको वार्षिक सुचिकृत शुल्क लिइनेछ ।

१२. **पार्किङ शुल्क :**

(क) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची (११) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिने छ ।

(ख) गाउँपालिकाले तोकेका सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा राखेका पसलहरुमा स्थानीय स्तरमा असुल हुदै आएको दररेटमा नबढ्ने गरी गाउँकार्यपालिकाले तोकेको दरमा शुल्क लगाउने र असुल उपर गरिनेछ । सो को व्यवस्थापन वडा कार्यालय मार्फत मिलाईने छ ।

१३. **ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र** ऱ्याफ्टिङ **शुल्क :**गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र ऱ्याफ्टिङ सेवा व्यवसाय संचालन गरे वापत अनुसूची (१२) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिने छ।

१४. **सेवा शुल्क, दस्तुर** :गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची (१३) मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूची १३ मा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१५. **पर्यटन शुल्क** :गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची (१४) मा उल्लेखित दरमा पर्यटन शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१६. **दहत्तर बहत्तर(ढुगां: गिट्टी बालुवा) शुल्क:** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका नदिहरुबाट नदिजन्य पदार्थ विक्री वितरण गरेवापतको रकम प्रदेश कानुन बमोजिम अनुसूची १५ बमोजिम असुल उपर गर्ने छ ।

१७. **घरनक्सा सेवा शुल्क:** रम्भा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका भवन तथा अन्य संरचनाहरुको निर्माण पूर्व देखि निर्माण पश्चात सम्मका सबै सेवा, तोकिएको समयभित्र निर्माण भएका भवन तथा अन्य संरचनाहरुको अभिलेखिकरण दण्ड जरिवाना लगाएतका शुल्कहरु अनुसूची (१६) मा उल्लेख भए बमोजिमको दररेटमा राजश्व तथा शुल्कहरु लगाईने र सोही अनुसार असुल उपर गरिने छ ।

१८. **पंजिकरण विलम्ब शुल्क** : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन भित्र गरेमा

कुनै शुल्क लाग्ने छैन । ३५ दिन नाघेमा अनुसुची १७ बमोजिमको विलम्ब शुल्क लाग्ने छ ।

१९. **अन्य कर** : विधेयकमा तोकिएकोमा तोकिए बमोजिम र नतोकिएको अन्य कर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

२०. **दण्ड जरिवाना** :प्रचलित कानुन र नियम विपरित कामकारबाही गरेको पाइएमा गाउँपालिकाको निर्णय बमोजिम अनुसूची १८ बमोजिमको दण्ड जरिवाना तिर्नु पर्ने छ ।

२१. **बेरुजु असूली सम्बन्धमा**ःलेखापरिक्षण हुदाँ असूल गर्नु पर्ने भनी तोकिए बमोजिमको रकम असूल उपर गरिने छ ।

२२. **कर छुट** : यस विधेयक बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन तर गाउंसभाबाट पारित दिन दुःखीको हकमा अत्यावश्यक सिफारिश गर्नु परेमा कर छुट दिन सकिने छ ।

२३. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधिः** यो विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसारकर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

२४. **नियम वा कार्यविधी बनाउन सक्नेः** रम्भा गाउँपालिकाले यस विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम, मापदण्ड वा कार्यविधी बनाउन सक्नेछ ।

२५. **विधेयकमा संशोधनः** रम्भा गाउँपालिकाको गाउँसभाले यस विधेयकलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछ ।

२६. **बचाउ र खारेजीः**

(१) यो विधेयक जारी गर्नु अघि कर, दस्तुर र शुल्क व्यवस्थापन सम्बन्धी भए गरेका निर्णयहरु यसै विधेयक बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

(२) साविकमा रम्भा गाउँपालिकाले कर, दस्तुर, शुल्क आदि व्यवस्थापनका लागि गर्दै आएका व्यवस्थाहरु यस विधेयकसँग बाझिएको हदसम्म स्वत खारेज हुनेछन् ।

## अनुसूची -१

## सम्पती कर र घर जग्गा कर

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा २ अनुसार रम्भा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एकिकृत सम्पत्ती कर हाललाई लगाइने छैन। घर जग्गा कर मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव गरेको दर रेट कार्यपालिकाबाट पारित गरी गाउँसभाबाट समेत पारित गरि लागु गरिने छ।

| क्र.सं. | विवरण | किसिम | कर रकम वार्षिक(रु.) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | कच्ची घर | १ तले | १०० | |
| | | २ तले | १५० | |
| | | ३ तले | २०० | |
| २ | ढलान/पक्की घर | १ तले | २०० | |
| | | २ तले | ३०० | |
| | | ३ तले र सो भन्दा माथी | ५०० | |
| ३ | मिश्रित | | १५० | |

*नोटः एक भन्दा बढी घर भई प्रयोग गरेको अवस्था भएमा प्रयोगमा आएको प्रत्येक घरको माथि उल्लेखित बमोजिमको कर लाग्नेछ। मिश्रित घर भन्नाले RCC प्रयोग भई छत ढलान नभएको घरलाई सम्झनुपर्दछ।*

***विलम्ब शुल्कः*** *प्रत्येक वर्षको ५० प्रतिशतले बड्दै जानेछ।*

# अनुसूची - २

## भूमी कर (मालपोत)

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार :

| क्र. सं. | विवरण | खेत | | | | बारी(पाखो) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अब्बल | दोयम | सिम | चाहार | अब्बल | दोयम | सिम | चाहार |
| १ | ५ रोपनी सम्म | २० | १५ | १० | १० | २० | १५ | १० | १० |
| २ | ५ रोपनी भन्दा माथि प्रति रोपनी | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ |
| ३ | विलम्ब दस्तुर | पहिलो एक वर्षको २०%<br>दुई वर्षको ४०%<br>तिन वर्षको ६०%<br>चार वर्षको ८०%<br>पाँच वर्षको १००%<br>पाँच वर्ष भन्दा माथि आएमा प्रत्यके वर्ष २०% का दरले थप गर्दै लैजाने । | | | | | | | |

# अनुसूची -३

## घर जग्गा बहाल कर

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ४ अनुसार :

| क्र.सं. | विवरण | करको दर |
|---|---|---|
| १ | संघ संस्था, सरकारी कार्यालय, गोदाम भाडामा दिए वापत | बहालमा दिएको कुल रकमको १०% |
| २ | अन्य प्रयोजनको लागि | |

# अनुसूची - ४

## व्यवसाय दर्ता, नविकरण, व्यवसाय कर

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ५ अनुसारः

| क्र.सं. | विवरण | दर्ता (रु) | नविकरण (रु) | व्यवसाय कर (रु) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| **१** | **व्यवसायिक वस्तु** | | | | |
| **१.१** | **चुरोट मदिरा एवं सुर्तिजन्य पसल थोक एवं खुद्रा विक्रेता** | | | | |
| | ५ भन्दा माथि | ० | ० | ३००० | |
| | ३ देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० | |
| | १ देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० | |
| **१.२** | **सुन चादी गहना तथा गहना बनाउने पसल (ज्वेलरी)** | | | | |
| | २० लाख भन्दा माथि | ० | ० | २००० | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ५ लाख देखि २० लाख | ० | ० | १५०० | |
| | ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | | |
| १.३ | **इलेक्ट्रोनिक/इलेक्ट्रिक सामान थोक तथा खुद्रा पसल** | | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १५०० | |
| | ३ देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० | |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० | |
| १.४ | **हार्डवयर पसल** | | | | |
| | २० लाख भन्दा माथि | ० | ० | २००० | |
| | ५ लाख देखि २० लाख सम्म | ० | ० | १५०० | |
| | ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० | |
| १.५ | **कार्पेट पर्दा अन्य फर्निशिङ पसल** | ३०० | | | |
| | ५ लाख देखि माथि | ० | ० | १५०० | |
| | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० | |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० | |
| १.६ | **दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध डेरी, ग्यास समेत** | | | | |
| | ५ लाख देखि माथि | ० | ० | १५०० | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० | |
| | १ लाख ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० | |
| १.७ | **चिया, कफि, खाना, नास्ता, मिठाइ, आइसक्रिम पसल आदि** | | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १००० | |
| | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० | |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० | |
| १.८ | **कपडा पसल, फेन्सी पसल, जुत्ता चप्पल** | | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १५०० | |
| | ३ लाख ५भन्दा माथि | १५०० | ७५० | ० | |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० | |
| १.९ | **फर्निचर सोरुम** | | | | |
| | २० लाख भन्दा माथि | ० | ० | २००० | |
| | ५ लाख देखि २० लाख सम्म | ० | ० | १५०० | |
| | ५ लाख सम्म | २००० | १००० | | |
| १.१० | **स्टेशनरी, टाइबेल्ट, स्कूल ड्रेस, गिफ्ट तथा खेलौना पसल** | | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १५०० | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० | |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० | |
| १.११ | **कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाईल, रेणियो, आदि विद्युतीय सामाग्री मर्मत केन्द्र** | | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १५०० | |
| | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० | |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० | |
| १.१२ | **फोटो स्टूडियो, कलर ल्याब, फोटोकपि, टेन्ट हाउस, सटरीङका सामान, टायल, ब्लक, रिङ, सेनेटरी जस्ता सेवामूलक कारोबार** | | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १५०० | |
| | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० | |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| १.१३ | **मासु पसल** | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १५०० |
| | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| १.१४ | **हेयर कटिङ, ब्युटिपार्लर, श्रृङ्गार पसल, मसार्च पार्लर, ड्राइ क्लिनर्स, टेलरिङ, जिम हाउस, पुल स्नुकर जस्ता व्यवसायहरु** | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १५०० |
| | ३ लाख भन्दा माथि | १५०० | ७५० | ० |
| | १ लाख ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० |
| १.१५ | **विविध व्यवसायिक कारोबार (माथि उल्लेख भएभन्दा बाहेकका अन्य व्यवसायहरु)** | | | |
| | रु २० लाख भन्दा माथि | | | ५००० |
| | रु ५ लाख देखि २० लाख सम्म | | | २५०० |
| | रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० |
| | रु १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० |
| २ | **विशेषज्ञ परामर्श तथा अन्य व्यवसायिक सेवा** | | | |
| २.१ | **स्वास्थ्य सेवा** | | | |
| | क्लिनिक(ल्याब सहित) | ० | ० | ३००० |
| | स्वास्थ्य क्लिनिक | ० | ० | २००० |
| | दन्त क्लिनिक | | | २००० |
| | फिजियोथेरापि क्लिनिक | ० | ० | २००० |
| | औषधि पसल | ० | ० | १५०० |
| | प्रयोगशाला (ल्याब) संचालन | ० | ० | १५०० |
| | पोलिक्लिनिक | ० | ० | ३००० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | आयुर्वेदिक अस्पताल/प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल | ० | ० | १५०० |
| | आयुर्वेद औषधि पसल | ० | ० | १००० |
| | चश्मा (अप्टिकल) पसल | ० | ० | १५०० |
| २.२ | **ईञ्जिनियर सेवा तथा कन्सल्टेन्सी** | ० | ० | ३००० |
| ३ | **निर्माण व्यवसायी** | | | |
| | क वर्ग | ० | ० | ७००० |
| | ख वर्ग | ० | ० | ५००० |
| | ग वर्ग | ० | ० | ४००० |
| | घ वर्ग | १५००० | ७५०० | ० |
| ४ | **उत्पादनमुलक उद्योग** | | | |
| | स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको खरिद, संकलन, संचय केन्द्रको स्थापना | | | |
| | रु ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १५०० |
| | रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० |
| | रु १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० |
| ५ | **कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय(फूल विरुवा विक्री, नर्सरी संचालन, तरकारी खेती आदि)** | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १००० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | ८०० | ४०० | |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | ६०० | ३०० | |
| ६ | **कुटानी पिसानी मिल** | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १५०० |
| | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | ७५० | ३७५ | ० |
| | १ लाख सम्म | २०० | १०० | |
| ७ | **कृषि तथा पशुपालन फर्म(गाईभैसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा, बंगुर, पशुपंक्षी, माछा)** | | | |
| | ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १००० |
| | ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | ८०० | ४०० | ० |
| | १ लाख देखि ३ लाख सम्म | ६०० | ३०० | ० |
| ८ | **कृषक समूह दर्ता** | ८०० | ४०० | ० |
| नोटः महिला कृषक समूह तथा फर्म दर्तालाई नविकरणमा ५० प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्नेछ । | | | | |
| ९ | **संचार सेवा** | | | |
| ९.१ | निजी क्षेत्रको टेलिफोन, फ्याक्स सेवा, आई.एम.डि इन्टरनेट आदि समेत | ० | ० | १५०० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ९.२ | केबुल, नेटवर्क, अन्य च्यानल, सि.सि. क्यामरा आदि | | | |
| | १५०० भन्दा बढि ग्राहक भएमा | ० | ० | २००० |
| | १००० देखि १५०० ग्राहक भएमा | ० | ० | १५०० |
| | १००० भन्दा कम ग्राहक भएमा | ० | ० | १००० |
| १० | **वित्तिय संस्था संचालन अनुमति** | | | |
| | वाणिज्य बैंक | ० | ० | ४००० |
| | विकास बैंक | ० | ० | ३००० |
| | वित्तिय कम्पनी (लघुवित्त समेत ) | ० | ० | २००० |
| | बिमा कम्पनी | ० | ० | ४००० |
| | मनि ट्रान्सफर, रेमिट्यान्स, बिदेशी मुद्रा, सटही काउन्टर | ० | ० | १००० |
| ११ | **सहकारी संस्थाहरु** | | | |
| | वित्तिय संस्था/सहकारी संस्था दर्ता शुल्क | ५००० | ० | ० |
| | रु १ करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीको लेखा परीक्षण सिफारिस शुल्क | ० | ० | १००० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | रु १ करोड सम्मको कारोबार गर्ने सहकारीको लेखा परीक्षण सिफारिस शुल्क | ० | ० | ५०० |
| | कारोबारको आधार गत बर्षको लेखापरीक्षणलाई गराईने | | | |
| | विनियम संशोधन सिफारीस | | | ५०० |
| | विनियम पुनर्लेखन | | | १००० |
| | *नोटः महिला सहकारी, कृषि तथा पशुजन्य सहकारीको हकमा माथि उल्लेख भएको शुल्कको ५०% मात्र शुल्क लाग्नेछ ।* | | | |
| | | | | |
| १२ | **कम्प्युटर इन्स्टिटच्युट, ड्राइभिङ इन्स्टिटच्युट आदि** | | | |
| | रु ५ लाख भन्दा माथि सम्म | ० | ० | १५०० |
| | रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० |
| | रु १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० |
| १३ | **मर्मत सम्भारः हेभि इक्युपमेन्ट, बस, कार, मोटरसाइकल, साइकल मर्मत, रिसोलिङ, रिकण्डिसन, सर्भिसिङ, इलेक्ट्रोनिक्स, अटो मर्मत आदि** | | | |
| | रु ५ लाख भन्दा माथि | | | १५०० |
| | रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | रु १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० |
| १४ | **भाडा वर्तन पसल** | | | |
| | रु ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | १५०० |
| | रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० |
| | रु १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | ० |
| १५ | **क्याटरिङ सेवा** | | | |
| | रु ५ लाख भन्दा माथि | ० | ० | २००० |
| | रु ३ लाख देखि ५ लाख सम्म | १५०० | ७५० | ० |
| | रु १ लाख देखि ३ लाख सम्म | १००० | ५०० | |
| १६ | **टावर (टेलिफोन, मोवाइल) प्रति टावर वार्षिक रु.** | | | १०,००० |
| १७ | **घुमफिर गरी बेच्नेलाई वडा कार्यालय वा गाउँपालिकाको अनुमति लिई प्रति दिन रु** | | | |
| | पोके प्रति दिन रु. १०० | | | |
| | मोटरसाइकल प्रति दिन रु. २०० | | | |
| | गाडी प्रति दिन रु. ३०० | | | |
| | *नोटः यस गाउँपालिकाभित्र उत्पादित बस्तु बेच्नेको हकमा यो बुँदा लागु हुने छैन साथै मासिक कर बुझाएमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ।* | | | |
| १८ | **टोल विकास संस्था** | ८०० | ४०० | ० |
| १९ | **निजि वन दर्ता** | १००० | ५०० | ० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २० | **मुहान दर्ता उपभोक्ता समिति/संस्था दर्ता** | १००० | ५०० | ० |

- *समयमा नविकरण नगर्ने सबै खालका व्यवसायहरुको पहिलो प्रथम बर्षको लागि २०%, दोस्रो बर्षको लागि ४०%, तेस्रो बर्षको लागि ६०%, चौथो बर्षको लागि ८०%, पाँचौ बर्षको लागि १००% र पाँचौ बर्ष भन्दा माथि भएमा प्रत्येक बर्ष २०% को दरले थपिदै जानेछ ।*
- *फर्म/समूह दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी शुल्क दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत लाग्नेछ।*

# अनुसुची - ५

## जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर (विक्रीबाट प्राप्त रकम)

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ६ अनुसार सामुदायिक बन विक्री आय

| सि.नं. | कर सूची | विवरण | शुल्क |
|---|---|---|---|
| १ | खयर (वन विधेयक अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेको) | प्रति रुख | १०० |
| २ | साल ,, | ,, | ७५ |
| ३ | कुकाठ ,, | ,, | ५० |
| ४ | सामुदायिक बन सूचीकृत | | १००० |
| **५. निकासी प्रयोजनको लागि पशु स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क** | | | |
| ५.१ | भैसी, पाडा, गाई, गोरु | प्रति जनावर | ३०० |
| ५.२ | बाख्रा, बंगुर | प्रति जनावर | २०० |
| ५.३ | कुखुरा, हाँस | प्रति जनावर | २० |

## कवाडी कर तर्फ

| सि.नं. | विवरण | कर |
|---|---|---|
| १ | प्रति ट्र्याक्टर/जीप | रु ५०० |
| २ | प्रति मिनी ट्रक | रु १००० |
| ३ | प्रति हेभी ट्रक | रु १५०० |
| ४ | प्रति साइकल | रु १०० |

## अनुसुची - ६
## सवारी साधन कर

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ७ सँग सम्बन्धीत

| क.सं. | सवारी विवरण | दर्ता (रु) | नविकरण दर (रु) | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | अटो रिक्सा | १००० | ५०० | |
| २ | ई रिक्सा | ३०० | १५० | |
| ३ | टेम्पो | २००० | १००० | |
| *नोटः रुट इजाजतको लागि निवेदन दर्ता शुल्क रु ५० लाग्नेछ ।* | | | | |

## अनुसुची - ७
## विज्ञापन कर (आयमुलक कार्य)

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ८ दफासँग सम्बन्धित

| क.सं | विज्ञापन कर (प्रति वर्ग फुट) | पटके (रू.) | वार्षिक (रु.) |
|---|---|---|---|
| १ | होडिङ वोर्ड, नियोन साइन तथा अन्य ठूला विद्युतीय वोर्डहरु | | १०० (प्रति वर्ग फुट) |
| २ | ग्लो साइनवोर्ड, डि.पि.एस. आदि | | ८५ (प्रति वर्ग फुट) |
| ३ | भित्ते लेखन | १० | |
| ४ | तुल व्यानर | १० | |

## अनुसूची - ८
## मनोरञ्जन कर

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार प्रदेशले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ ।

## अनुसूची- ९
## बहाल विटौरी शुल्क

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १० सँग सम्बन्धीत

| क्र.सं. | सम्पतिको किसिम | शुल्कको दर प्रति वर्ग फुट(रु) | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | **व्यक्ति वा संस्थाले रम्भा गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक स्थल र भवन प्रयोग गरे वापतको रकम** | | |
| | क) अस्थायी कच्ची टहरा | २.०० | |
| | ख) कच्ची भवन | २.५० | |
| | ग) आर.सि.सि.भवन | ४.०० | |
| | घ) आल्मुनियम, फलाम टिनले बनेका संरचना | ४.०० | |
| २ | **व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएका** | | |
| | क) अस्थायी कच्ची टहरा | ३.०० | |
| | ख) कच्ची भवन | ३.५० | |
| | ग) आर.सि.सि.भवन | ५.०० | |
| | घ) आल्मुनियम, फलाम टिनले बनेका संरचना | ५.०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३ | **संरचना नभएका तर  खेति तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएका जग्गाहरुको वार्षिक प्रतिरोपनी** | ५००.०० | |
| ४ | **सार्वजनिक सभा हलको प्रति दिन (संख्याको आधारमा)** | २००० सम्म | |
| ५ | **सार्वजनिक स्थानमा मेलामा व्यवसाय गरे वापत प्रति दिन** | १०० देखी १००० | |

## अनुसूचि -१०
## सूचिकृत शुल्क

आर्थिक ऐन ,२०८१ को दफा ११ सँग सम्बन्धीत
गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने मेसिनरी औजार तथा गाउँपालिकाद्धारा आह्वान गरिने निर्माण कार्य, वस्तु तथा सेवा खरिद प्रयोजनका लागि बार्षिक सुचिकृत शुल्क रू ५०० लिईनेछ।

## अनुसुची—११
## पार्किङ्ग शुल्क

आर्थिक  विधेयक, २०८१ को  दफा १२ अनुसारः

| | |
|---|---|
| **सवारी पार्किङ्ग शुल्क (पार्किङको लागि गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा) दैनिक** | ➢ मोटरसाईकल रु.१०<br>➢ कार, जिप, भ्यान रु.३०<br>➢ बस, ट्रक रु.८०<br>➢ ट्याक्टर रु.४० |

## अनुसूची—१२
## ट्रेकिङ्ग, कायोकिड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ्ग शुल्क

आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा १३ अनुसार र्‍याफ्टीङ्ग व्यवसाय संचालन गरेका फर्महरुले लाभग्राहीबाट उठाएको रकमको १० प्रतिशत रकम गाउँपालिकालाई शुल्क स्वरुप तिर्नु पर्ने छ ।

## अनुसूची -१३
## १. सेवा शुल्क, दस्तुर

आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १४ अनुसारः

| सि.नं | कर सूची | विवरण | सेवा शुल्क (रु) |
|---|---|---|---|
| १ | नाता प्रमाणित | अङग्रेजी | ५०० |
| | | नेपाली | २०० |
| २ | लिखत/तमसुक प्रमाणित | ५ लाख सम्म | २०० |
| | | ५ लाख भन्दा माथि | ५०० |
| ३ | राहदानी सिफारिस | | २०० |
| ४ | स्टक प्रमाणित | १०० घन मिटरसम्म | १००० |
| | | १०० घन मिटर भन्दा माथि | २००० |
| ५ | **जग्गा प्रशासनः** क) नामसारी | नामसारी | २५० |
| | | नामसारी मुचुल्का | ३०० |
| | ख) घरबाटो सिफारिस (प्रति | साधारण | ३०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कित्ता) थप कित्ताको लागि पक्की सडकमा पर्ने रु.५० प्रति कित्ता र कच्ची सडक रु.२५ प्रति कित्ता थप दस्तुर लाग्नेछ। | कालोपत्रे सडकले छोएका जग्गाहरु अन्य पक्की मार्ग | ५०० |
| | | बाटो नभएको | २०० |
| ६ | हकवाला संरक्षण सम्बन्धी सिफारिस | | २०० |
| ७ | भारतीय पेन्सन पारिवारिक विवरण (प्रति सिफारिस) | | १००० |
| ८ | भारतीय पेन्सन सम्बन्धी अन्य सिफारीस (प्रति सिफारिस) | | ७०० |
| ९ | नेपालको पेन्सन पारिवारिक विवरण(प्रति सिफारिस) | | ५०० |
| १० | वृटिश पेन्सन पारिवारिक | | ३००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | विवरण (प्रति सिफारिस) | | |
| ११ | वृटिश पेन्सन सम्बन्धी अन्य सिफारिस(प्रति सिफारिस) | | १००० |
| १२ | संघ संथा (आमा समूह, क्लब, मन्दिर आदी) | दर्ता सिफारीस | ५०० |
| | | नविकरण सम्बन्धी सिफारिश | ३०० |
| १३ | कृषि तथा पशु | फर्म दर्ता मुचुल्का | २०० |
| | | फर्म दर्ता /नविकरण सिफारिस | २०० |
| १४ | विद्यालय तर्फ | बाल विकास केन्द्र सञ्चालन अनुमति | ५०० |
| | | प्रा.वि. तह १ देखि ५ अनुमति | १००० |
| | | आधारभूत तह ६ देखी ८ अनुमति | १५०० |
| | | मा.वि. अनुमति | २००० |
| | | स्नातक वा सो भन्दा बढी | ५००० |
| | | प्राविधिक शिक्षाको सिफारिस | २००० |
| | | शिक्षक विज्ञापन अनुमति | ५०० |
| | | पुन परीक्षण प्रति विषय | १०० |
| | | पुन गणना प्रति विषय | ५० |
| | | शिक्षक सरुवा सहमति आउने | १००० |
| | | शिक्षक सरुवा सहमति लिइ जाने | २००० |
| | | आन्तरिक सरुवा | १००० |
| | | लेखा परीक्षक प्रा.वि | १००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | लेखा परीक्षक आ.वि | २००० |
| | | लेखा परीक्षक मा.वि | ३००० |
| १५ | स्वास्थ्य तर्फ | सरुवा भई आउने | १००० |
| | | सरुवा भई जाने | २००० |
| १६ | काठ दाउराको सिफारिस | प्रतिगाडी (६ चक्के) | १००० |
| | | प्रतिगाडी (१०देखि १२चक्के) | १५०० |
| | | ट्रयाक्टर | ३०० |
| १७ | अङ्ग्रेजी सिफारिस | (अन्य) | ५०० |
| १८ | वंशजको नागरिकता सिफारिस | | निशुल्क |
| १९ | वंशजको नागरिकता प्रतिलिपी सम्बन्धी सिफारिस | | १०० |
| २० | नावालक परिचय पत्र (सिफारिस) | | निशुल्क |
| २१ | अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी सिफारिस | | ५०० |
| २२ | अंगिकृत नागरिकता प्रतिलिपि | | २०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २३ | गैर आवसिय नागरिकता सिफारिस | | १००० |
| २४ | गैर आवसिय नागरिकता प्रतिलिपी | | ५०० |
| २५ | सर्जिमिन मुचुल्का नागरिकता | | २०० |
| २६ | चारकिल्ला प्रमाणित (प्रति कित्ता) | बाटोले नछोएको जग्गालाई चारकिल्ला प्रमाणित गर्नुपरेमा प्रति कित्ता | ३०० |
| | | कच्चि सडकले छोएका एक आपसमा जोडिएका सवै कित्ताहरु | ४०० |
| | | पक्की बाटोले छोएका एक आपसमा जोडिएका सवै कित्ताहरु | ५०० |
| | *सो भन्दा माथि भएमा प्रतिकित्ता २०% का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ।* | | |
| | | साधारण र पक्की घरसहित जग्गाको ४ किल्ला | २०० |
| २७ | सनाखतको सिफारिस | | २०० |
| २८ | जन्म, मृत्यु सम्बन्धी सिफारिस | अङग्रेजी | ५०० |
| | | नेपाली | २०० |
| २९ | कन्सुलर | प्रमाणित शुल्क | २०० |
| ३० | स्थायी बसोबास सम्बन्धी सिफारिस | | २०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३१ | नाम, थर, जन्म, मिति संशोधन | सिफारिस | २०० |
| | | सर्जमिन शुल्क | २०० |
| ३२ | अन्य सिफारीस | | २०० |
| ३३ | अमिन शुल्क प्रति कित्ता (जोडिएको प्रति कित्ता थप रु.५००) | | १५०० |
| ३४ | अविवाहित /विवाहित प्रमाणित | अङ्ग्रेजी | ५०० |
| | | नेपाली | २०० |
| ३५ | चारित्रिक सिफारिस | वैदेशिक प्रयोजनका लागि | ५०० |
| | | स्वदेशी प्रयोजनका लागि | ३०० |
| | | विद्यार्थीका लागि | २०० |
| ३६ | जनजाती र दलित प्रमाणित | | २०० |
| ३७ | जग्गामा स्रेस्ता कायम | सिफारीस | २०० |
| | | मुचुल्का | ३०० |
| ३८ | विद्युत जडान सम्बन्धी सिफारिस स्तर अनुसार | १) सामान्य कच्ची घर | २०० |
| | | २) पक्की घर | ३०० |
| | | ३) व्यवसायिक | ५०० |
| | | ४) थ्रिफेज | १००० |
| ३९ | टेलिफोन जडान सम्बन्धी सिफारिस | | २०० |
| ४० | निजी धारा जडान सम्बन्धी सिफारिस | | २०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४१ | विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी सम्बन्धी नामसारी सिफारिस | पक्की घर | ३०० |
| | | कच्ची घर | २०० |
| ४२ | उद्योग स्थापना सिफारिस | ठूलो उद्योग | १००० |
| | | मझौला उद्योग | ५०० |
| | | सानो उद्योग | ३०० |
| | | मुचुल्का | ३०० |
| ४३ | छात्रवृत्ती सम्बन्धी सिफारिस/अपाङ्गता सिफारीस | | निशुल्क |
| ४४ | न्यायिक कार्यका लागि निवेदन | | २०० |
| ४५ | नक्कल (न्यायिक निर्णयको हकमा) | | प्रति पाना रु.१० |
| ४६ | लाहुरे चाल चलन प्रमाणित | लाहुरे भइ सकेपछि | १००० |
| ४७ | लाहुरे अविवाहित प्रमाणित | ,, | १००० |
| ४८ | लाहुरे मुचुल्का | ,, | १००० |
| ४९ | लाहुरे हुन जाने बेलामा गर्ने सबै प्रमाणितहरुको प्रति प्रमाणित | | २०० |

## २. अन्य सिफारिस, दस्तुर

| सि.नं | कर सूची | विवरण | |
|---|---|---|---|
| १ | निवेदन फाराम तथा अनुसूची फाराम (प्रतिपाना) | | |
| २ | अनुसुचि १३ मा उल्लेख भएदेखि बाहेक अन्य मुचुल्काको हकमा | | |
| ३ | निवेदन दर्ता व्यक्तिगत | | |
| ४ | भवन निर्माण दरखास्त फाराम | | क<br>(भू |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ५ | परिक्षा सम्बन्धी दरखास्त फाराम शुल्क | नियमानुसार | |
| ७ | टेण्डर फाराम शुल्क | आर्थिक नियमानुसार | |
| ८ | नक्कल उतार प्रति पाना | कार्यालयले सार्दा | |
| ९ | घर पालुवा कुकुर | दर्ता र नविकरण | |
| १० | भरुवा बन्दुक नविकरण सिफारिश दस्तुर | जिल्ला भर | |
| | | नेपाल भर | |
| ११ | मिलापत्र दस्तुर प्रति पक्ष | | |

## ३. हैसियत प्रमाणित

| सि.नं. | कर सूची | विवरण | सेवा शुल्क, दस्तुर |
|---|---|---|---|
| १ | वैदेशिक प्रयोजनको लागि धितो मुल्याङ्कन | रु.१० लाख सम्म | १००० |
| | | रु.२० लाख सम्म | १५०० |
| | | रु.३० लाख सम्म | २००० |
| | | रु.४० लाख सम्म | २५०० |
| | | रु.५० लाख सम्म | ३००० |
| | | रु.५० लाख भन्दा बढीमा प्रति १० लाख | ५०० थप |
| २ | वार्षिक आम्दानी (ऋण लिन र वैदेशिक प्रयोजन) | रु.५ लाख सम्म | १००० |
| | | रु.१० लाख सम्म | १५०० |
| | | रु.२० लाख सम्म | २५०० |
| | | रु.३० लाख सम्म | ३५०० |
| | | रु.४० लाख सम्म | ४५०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | रु.४० लाख भन्दा बढीमा प्रति ५ लाख | ५०० थप |

क) सम्पत्ती मूल्याङ्कन र वार्षिक आम्दानी दुवै गराउनेलाई बढी दस्तुर हुन आउने एक मात्र असुल गर्ने ।

ख) गाउँपालिकाले तत्काल धितो मूल्याङ्कन गरेको सिफारिसको पुनः नविकरण गर्नु पर्दा जुन प्रयोजनका लागि गरिएको हो सोको लागि लाग्ने दस्तुरको १० प्रतिशत थप राजस्व लिइने छ ।

## अनुसूची—१४
## पर्यटन शुल्क

आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १५ अनुसारः  प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।

## अनुसूची -१५
## अन्य विक्रीबाट प्राप्त आय (दहत्तर बहत्तर(ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवा) शुल्क

आर्थिक  विधेयक २०८१ को  दफा १६ अनुसारः

गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका नदीनाला, खोला तथा अन्य कुनै पनि स्थानबाट गाउँपालिकाको पूर्व अनुमति लिई दहत्तर बहत्तर (ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवा,) साथै स्थानीय ढुङ्गा, गिट्टि, माटो, ग्राभेल आदि उत्खनन, संकलन एवं बिक्रि वितरण कार्य गर्नुपर्नेछ। दहत्तर बहत्तरको दरका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ ।

# अनुसूची- १६
## नक्शा पास दस्तुर

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १७ सँग सम्बन्धीत

| सि. नं. | भौतिक संरचना निर्माण | करको दर (प्रति वर्ग फिट) ने.रु.मा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पूरानो घर (२०७२ भन्दा अघि बनेको) | | नयाँ घर | | २०७२ पछि भवन निर्माण स्विकृत नगरेको लाई अभिलेखिकरण दर रेट । | |
| | | नक्शा पास क्षेत्र (क) | नक्शा पास क्षेत्र (ख) | नक्शा पास क्षेत्र (क) | नक्शा पास क्षेत्र (ख) | नक्शा पास क्षेत्र (क) | नक्शा पास क्षेत्र (ख) |
| | | दर रेट (रु.) | दर रेट (रु.) | दर रेट (रु.) | दर रेट (रु.) | दर रेट (रु.) | दर रेट (रु.) |
| १. | आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर | | | | | | |
| क) | पूर्ण भूमिगत तला | २.०० | १.५० | ३.०० | २.०० | ३.५० | ३ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ख) | जमिन तला | ३.०० | २.०० | ४.०० | ३.०० | ५.०० | ४.५० |
| ग) | पहिलो तला | ३.५० | ३.०० | ४.५० | ४.०० | ५.५० | ५.०० |
| घ) | दोश्रो तला | ४.०० | ३.५० | ५.०० | ४.५० | ६.०० | ५.५० |
| ङ) | तेश्रो तला र सो भन्दा माथि प्रति तला | ४.५० | ४.०० | ५.५० | ५.०० | ६.५० | ६.०० |
| २. | सिमेन्टको जोडाईमा इटा वा ढुँगाको गारो(न्यूनतम ३३ से.मी. मोटाई) आर.सी.सी. ,टायल जस्ता पाता छाना | | | | | ३.२५ | २.५० |
| ३. | जोडाईमा इटा वा ढुँगाको | | | | | ३.२५ | २.२५ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गारो(न्यूनतम २३ से.मी. मोटाई) आर.सी.सी., जस्ता पाता छाना | | | | | | |
| ४ | माटोको जोडाईमा इटा वा ढुँगाको | | | | | ३.०० | २.०० |

# अनुसुची -१७
## पञ्जिकरण विलम्ब शुल्क

आर्थिक ऐन, २०८१ को  दफा १८ अनुसार तपसिल बमोजिमको घटना दर्तासम्बन्धी विलम्व शुल्क लिइनेछ।

| सि.नं. | विवरण | दस्तुर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | घटना दर्ता विलम्ब शुल्क | २०० | |
| २ | घटना दर्ताको प्रतिलिपी | ५०० | |
| ३ | अभिलेख उपलब्ध गराएबापत प्रति पाना | घटना दर्ता विधेयक बमोजिम हुनेछ । | |
| ४ | घटना दर्ता विवरण सच्याएको | ३०० | |
| ५ | सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र प्रतिलिपि | १०० | |

*नोटः सक्कलप्रति लिएर प्रतिलिपि जारी गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन।*

## अनुसुची — १८

## दण्ड जरीवाना

आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा २० अनुसार  तपसिल बमोजिमको दण्ड जरिवाना शुल्क लिइनेछ।

| सि.नं. | विवरण | शुल्क | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | नियम विपरित काम गर्ने सानो हेभी इक्युपमेन्टको हकमा पहिलो पटकलाई | १५००० | दोस्रो पटकलाई ५० % थप<br>तेस्रो पटकलाई १०० % थप<br>तीन पटक भन्दा बढी सो काम गरेमा नियम कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने । |
| २ | नियम विपरित काम गर्ने ठूलो ईक्युप्मेन्टलाई पहिलो पटकलाई | २०००० | दोस्रो पटकलाई ५० % थप<br>तेस्रो पटकलाई १०० % थप<br>तीन पटक भन्दा बढी सो काम गरेमा नियम कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३ | नियम विपरित काम गर्ने<br>ट्रिपर पहिलो पटकलाई | १५००० | दोस्रो पटकलाई ५० % थप<br>तेस्रो पटकलाई १०० % थप<br>तीन पटक भन्दा बढी सो काम गरेमा नियम कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने। |
| ४ | नियम विपरित काम गर्ने<br>ट्र्याक्टर पहिलो पटकलाइ | १०००० | दोस्रो पटकलाई ५० % थप<br>तेस्रो पटकलाई १०० % थप<br>तीन पटक भन्दा बढी सो काम गरेमा नियम कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने। |
| ५ | तोकिएको समयमा EMIS अध्यावधिक नगरेमा | ५००० | |

*नोटः नियम विपरित काम गर्ने जुनसूकै सवारी साधनलाई समातेर कार्यालयमा बुझाउने व्यक्ति, संघ संस्था तथा कार्यालयलाई सवारी धनीले बुझाएको दण्ड जरिवाना रकमको २०% पुरस्कार स्वरुप प्रदान गरिने छ।*

| जम्मा प्राप्त हुने कर, शुल्क, दस्तुरबाट अनुमानित एकमुष्ट सूची | | |
|---|---|---|
| **राजश्व संकेत नं** | **राजश्व शिर्षक** | **प्राप्त हुने अनुमानित आम्दानी** |
| **११४३१** | **सम्पत्ती बहाल तथा पट्ट वापतको आयमा लाग्ने कर** | **८०००००** |
| | **वहाल कर** | **५०००००** |
| **११३२२** | **बहाल बिटौरी कर** | **१०००००** |
| **११४५१** | **सवारी साधन कर** | **१००००** |
| **१४२४१** | **पार्किङ शुल्क कर** | **५०००** |
| ११३१४ | मालपोत कर | ७०००० |
| ११४७९ | मनोरञ्जन कर | १०००० |
| ११६९१ | अन्य कर | ५००००० |
| १४६११ | व्यवसाय कर | १००००० |
| १४२५३ | व्यवसाय रजिष्ट्रशन कर | ५००००० |
| १४१५९ | अन्य स्रोत बाट प्राप्त रोयल्टी(दहत्तर बहत्तर) | ४२१०००० |
| १४१९१ | पर्यटन शुल्क | ५००० |
| १४२११ | कृषि उत्पादन बिक्रिबाट प्राप्त रकम | १००००० |
| १४२१२ | सरकारी सम्पत्तीको विक्री वापत प्राप्त रकम | ५०००० |
| १४२१९ | अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रि | १००००० |
| १४२२३ | शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी | २००००० |
| १४२२४ | परीक्षा शुल्क | १००००० |
| १४२२९ | अन्य प्रशासनिक शुल्क | ५००००० |
| १४२४२ | नक्सा पास दस्तुर | ३००००० |
| १४२४३ | सिफारिस दस्तुर | १६००००० |
| १४२४४ | व्यक्तिगत  घटना दर्ता वापत | ५००००० |
| १४२४५ | नाता प्रमाणित दस्तुर | १००००० |
| १४२४९ | अन्य दस्तुर | ३००००० |

| | | |
|---|---|---|
| १४३११ | **न्यायिक दण्ड जरिवाना** | ५००० |
| १४२२१ | **न्यायिक दस्तुर** | ५००० |
| १४३१२ | **प्रशासनिक दण्ड जरिवाना** | १००००० |
| १५१११ | **बेरुजु दाखिला** | १०००००० |
| ११३१४ | **बाँडफाँड बाट प्राप्त हुने मालपोत तथा रजिष्ट्रेशन शुल्क** | ८००००० |
| | **जम्मा** | १,३२,००,०००। |

*आज्ञाले*

*ठाकुर प्रसाद अर्याल*

*प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत*